

ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

विरुद्ध

केंद्रीय आबकारी (उत्पाद) आयुक्त, जयपुर

5 मई, 2004

एस. राजेंद्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपति,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, धारा 35 एल(बी)

मूल्यांकन - निर्धारिती द्वारा निर्मित और सरकारी, सार्वजनिक अनुभाग के उपक्रमों को बेची जाने वाली वस्तुएँ, मूल्य के भुगतान में देरी

प्राप्य: अग्रिम और बैंक शुल्कों पर उपार्जित ब्याज पर कटौती, राजस्व अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत - केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर पुष्टि की गई कि अनुबंध में विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं था कि ब्याज कैसे अदा किया जाएगा - अपील में निर्धारित:-

ब्याज के भुगतान के संबंध में शर्त का प्रावधान - अपील पर, आयोजित: बिक्री चालान के लिए समझौते में भुगतान की एक विशेष अवधि का उल्लेख करने से संकेत मिलता है कि भुगतान तुरंत नहीं किया जाएगा। इसे ऋण विक्रय कहा जा सकता है, उससे लिए गए ब्याज पर कटौती की अनुमति दी जा सकती है हालांकि न्यायाधिकरण द्वारा देखी

गई परिस्थितियां स्वयं एक निर्णायक कारक नहीं हो सकती हैं इसलिए, न्यायाधिकरण को संबंधित अधिकारियों को अपनी जांच को सीमित करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था।

लेकिन उन्हें मूल्य की प्राप्ति में समय बीतने के कारण प्राप्त होने वाले ब्याज और माल की कीमत, मूल्यांकन से कटौती योग्य बैंक शुल्क की सम्पूर्ण जांच करने का निर्देश देना चाहिए था, राजस्व अधिकारियों को जांच करनी चाहिए, न्यायाधिकरण के आदेश को तदनुसार संशोधित किया गया।

आंकलन - बैंक शुल्क, कटौती निर्धारित:

वे निर्माण के बाद और समाशोधन के बाद के खर्चों की प्रकृति में हैं और माल के आंकलन योग्य मूल्य से कटौती योग्य हो सकते हैं।

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठाया गया था, वह यह था कि क्या अग्रिमों और बैंक शुल्कों पर उपार्जित ब्याज मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से मूल्य से कटौती योग्य सामान आंकलन योग्य है।

अपीलों को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1: सवाल यह है कि क्या किसी मामले में मूल्य संरचना में अपने आप में प्रभारित ब्याज शामिल है या नहीं यह प्रतिष्ठान के लिए एक मामला है जो साक्ष्य पर निर्धारित होगा। यह तथ्य कि भुगतान के लिए एक विशेष अवधि का उल्लेख किया गया है, यह इंगित करेगा कि भुगतान

तुरंत नहीं किया जाना है बल्कि एक बाद की तारीख पर और यह एक उधार विक्रय है और ब्याज लिया जा सकता है और बिक्री मूल्य से काट लिया जाएगा। परंतु यह परिस्थिति अपने आप में एक निर्णायक कारक नहीं है। अतः अधिकरण को मामले को प्रतिप्रेषित करते हुए जांच को केवल उन मामलों तक सीमित नहीं रखना था जहां अवधि बाद के चालान में बताई गई है। इसलिए अधिकरण को जांच संबद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा केवल उस पहलू के लिए नहीं अपितु सम्पूर्ण मामले की जांच के लिए प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। (112-एफ-जी-एच)

1.2 यदि चालान मूल्य मूल्यांकन का आधार है तो बैंक कमीशन या ग्राहक के खाते में बैंक को देय ब्याज शुल्क निश्चित रूप से पोस्ट मैनुफैक्चरिंग और पोस्ट क्लियरिंग खर्च की प्रकृति में होते हैं तथा खर्च और आकलन योग्य मूल्य से कटौती योग्य होने चाहिए।

यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे खर्च विक्रय राशि का हिस्सा बनेंगे। आगे बैंक खर्च जो कीमत में जोड़े जाते हैं क्योंकि बाहर के बैंकों की निकासी के कारण कीमत में शामिल नहीं किया जा सकता। अतः वे खर्च कीमत से निकाले जाने योग्य हैं, जब माल की आकलन योग्य कीमत गिनी जाती है। अतः अधिकरण का आदेश संशोधित किया जाता है एवं अधिकारियों जिन्हें मामला प्रतिप्रेषित किया गया है उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे परीक्षण करें कि क्या प्राप्तियों पर ब्याज जो समय व्यतीत होने के कारण उत्पन्न होता है जो माल के वितरण पैसों की प्राप्ति के भीतर

की अवधि का है, क्या वह आकलन योग्य माल की कीमत से कम किया जा सकता है जो कारखाने से माल के हटाये जाने से शुरू होता है एवं क्या बैंक शुल्क जो बाहर के बैंक के निकासी के कारण लगा है वे वस्तु की कीमत में शामिल किये जाने योग्य हैं। (113-ए-बी, डी, एफ-जी)

केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त नई दिल्ली विरुद्ध विक्रम डिटर्जेंट लिमिटेड (2001) 2 एससीसी 417 सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं आबकारी एवं अन्य विरुद्ध मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड (1986) सप्लीमेंट एससीसी 751 एवं श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स विरुद्ध भारत संघ। (1997) 96 ईएलटी 12 एससी भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 5756 - 59 सन् 2000

केन्द्रीय उत्पाद / आबकारी एवं सोना (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली के ईओ सं. 348-355/2000-ए जो ए सं. ई/1698 - 1701 / 99 - ए, ई / 1077 / 98 - ए, ई/1278/99-ए एवं ई/14-15/2000 - ए में दिनांक 6.6.2000 को पारित निर्णय व आदेश के विरुद्ध।

श्री डी. ए. दवे, आर. एन. तरंजावाला, सुश्री रूबी, एस. आहूजा, सुश्री सीमा सूण्ड, श्रीमती माणिक करंजावाला अपीलार्थी की ओर से

रंजीत कुमार, टी. ए. खान एवं ए. बी. के. प्रसाद प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति

ये अपीलें धारा 35 एल (बी) केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944 के तहत केन्द्रीय उत्पाद / आबकारी एवं सोना (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश जिसे हम आगे चलकर अधिकरण कहेंगे के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है उक्त कार्यवाही में अपीलार्थी ने दो बिंदु उठाये थे जैसा कि 1. अग्रिम राशि पर उत्पन्न ब्याज कीमत में से घटाने योग्य है अथवा नहीं। 2. इस बारे में कि बैंक शुल्क व शुल्कों का संग्रह की कटौती की जा सकती है।

सम्बद्ध अवधि में अपीलार्थी ने जो माल उत्पादित किया वह मुख्यतः सरकार व सार्वजनिक अनुभागों को विक्रय किया। यह देखते हुए कि शुल्क की अदायगी माल प्रेषित करते ही नहीं की गई न ही कुछ समय के भीतर ना ही यह प्रावधान था कि कितने समय में की जाएगी। अदायगी देरी से की गई। जिसमें औसतन 3 से 12 माह का समय लगा अतः अपीलार्थी ने कीमत में से ब्याज की कटौती चाही। यह उक्त अवधि के लिए थी जिस अवधि तक माल के हटाने से अदायगी की गयी जो कटौती चाही गयी वह चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र से उक्त अवधि के लिए अनुमोदित थी। मूल्य सूची में भी समय - समय पर कटौती चाही गयी। आकलनकर्ता अधिकारी ने, अपीलीय अधिकारी ने एवं अधिकरण ने अपीलार्थी की मांग ठुकरा दी जो इस आधार पर थी कि संविदा में विशिष्ट

रूप से यह प्रावधान नहीं था कि ऐसे विक्रय में जो उधार पर किया गया हो ब्याज देय है। अधिकरण ने इस प्रकार विधि के विनिश्चय को बताया“

“कटौती योग्य ब्याज उस अवधि का ब्याज है जो चालान में बताया गया है अन्यथा यह अनचाहे परिणाम की ओर पहुंचेगा वे मामले जिनमें निर्माता को अदायगी अंतहीन समय तक देरी ना होती है अथवा डीलर कीमत अदा करने से मना करता है तो विक्रय मूल्य साफ हो जायेगा क्योंकि ब्याज कीमत से ज्यादा हो जायेगा। ऐसे मामले में क्या माल उत्पादन कर योग्य नहीं है? इसका उत्तर केवल पुरजोर ना हो सकता है। उत्पाद कर माल के निर्माता पर लगता है यह इस बात पर आधारित नहीं होता कि क्या निर्माता ने माल की कीमत डीलर से वसूल की है अथवा नहीं। अतः माल के वितरण से उसकी कीमत के प्राप्त होने तक की अवधि का ब्याज चालान में जो अवधि तय की गयी है उससे तय हुआ। यदि चालान में यह लिखा गया है कि अदायगी 30 दिन में की जायेगी तो माल की वितरण से उक्त अवधि 30 दिन पूर्ण होने तक की अवधि का ब्याज ही चालान में बतायी गयी कीमत से घटाने योग्य है।”

आदेश के इस भाग को चुनौती दी गयी है इसके अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर हम बाद में विचार करेंगे।

ये इंगित किया गया है कि इस न्यायालय ने इस प्रश्न का निर्धारण कि माल के वितरण के दिन की कीमत से कीमत की अदायगी होने तक की अवधि का ब्याज घटाया जाना है अथवा नहीं का निर्णय सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं आबकारी एवं अन्य विरुद्ध मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड (1986) एससीसी 751 में इस निर्णय का पुनर्समीक्षा भारत सरकार एवं अन्य विरुद्ध मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड व अन्य (1995) 4 एससीसी 349 में किया गया। इस दूसरे निर्णय में न्यायालय ने यह बताया है कि:

“असेसी मद्रास रबर फैक्ट्री का मामला यह है कि जहां माल दूरस्थ इलाकों में थोक विक्रेताओं को होता है एवं अदायगी कुछ समय बाद की जाती है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें उधार विक्रय किया गया है अतः माल के वितरण से उसकी कीमत प्राप्त करने तक की अवधि का ब्याज माल की कीमत में से कम किया जाना चाहिए जो लगाया गया है। वह अदायगी में लिए गए समय के लिए लगाया गया है। जो दूरस्थ थोक क्रेता द्वारा लगाया गया है। चूंकि यह वो राशि है जो डिपो से विक्रय के बाद प्राप्त हुई है तथा किसी भी प्रकार के खर्चों में शामिल नहीं है अतः निर्धारित किया गया है कि यह बाँम्बे टायर इंटरनेशनल में शामिल

किये जाने योग्य है जबकि यह शामिल किये जाने योग्य नहीं है। अतः इस कटौती का दावा स्वीकार्य है।”

सरकार द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया कि माल प्राप्त पर ब्याज की इजाजत नहीं दी जा सकती कि उसे आकलन योग्य कीमत से घटाया जाए। यदि ब्याज माल की विक्रय कीमत के ऊपर नहीं लगाया गया है। यद्यपि अधिकरण द्वारा यह विचार स्वीकृत नहीं किया गया एवं निर्धारित किया गया कि यदि निर्धारिती चालान में बतायी गयी कीमत की राशि के अतिरिक्त ब्याज मांग रहा है, जबकि चालान की कीमत की अदायगी की अवधि उसमें लिखी गयी है और चालान यह स्पष्ट करता है कि यह विक्रय उधार है तो उधार के लिए तय की गयी अवधि पर लगाया गया ब्याज एक स्वीकार्य कटौती होगा एवं इसे चालान में बतायी गयी कीमत से इसे अलग किया जाएगा और यह स्वीकार्य कटौती होगी जिससे माल की आकलन योग्य कीमत जानी जा सकेगी।

यह प्रश्न कि यदि क्रेता द्वारा विक्रय राशि का भुगतान नहीं करने पर जो ब्याज देय है उसे कीमत के खांचे में डाला जाये अथवा नहीं। अतः इसे कीमत से घटाया जाना चाहिए अथवा नहीं यह परीक्षण करने का प्रश्न है।

इस न्यायालय ने 1995 (77) ईएलटी 433 में निर्धारित किया है कि डिपो से विक्रय के बाद राशि प्राप्त होती है और किसी भी खर्च की श्रेणी में नहीं आती तो वह बाँम्बे टायर इंटरनेशनल में शामिल किये जाने योग्य

है। यह स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य राशि है तथा इसकी कटौती स्वीकार किया जाने योग्य है।

वे मामले जहां क्रेतागण तत्काल अदायगी नहीं करते जबकि माल की वितरण हो चुका है बल्कि अदायगी बाद में की जाती है इसे उधार पर विक्रय कहा जायेगा। अतः ब्याज माल की अदायगी से उसकी कीमत प्राप्त होने तक की अवधि के लिए प्राप्त होगा तथा माल की कीमत में से कम किया जा सकेगा। यह प्रश्न कि क्या किसी मामले में मूल्य संरचना में ही ब्याज लगाया गया है या नहीं शामिल है। यह साक्ष्य पर निर्भर है। यह तथ्य कि एक निश्चित अवधि माल के मूल्य की अदायगी के लिए निश्चित की गयी है, से यह इंगित होता है कि कीमत तत्काल अदा नहीं करनी है बल्कि एक बाद की तारीख पर करनी है अतः यह उधार का विक्रय है और ब्याज लगाया जा सकता है व उसे विक्रय कीमत से घटाया जा सकता है लेकिन ऐसी परिस्थिति अपने आप में एक निर्णायक कारक नहीं है। अतः अधिकरण ने जब मामले को प्रतिप्रेषित किया तब उन्हें मामले की जांच केवल उन मामलों के लिए नहीं भेजनी चाहिए। जहां अवधि बाद में चालान में बतायी गयी है। अतः हम इस विचार के हैं कि अधिकरण को मामले की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा मामला प्रतिप्रेषित करने के बाद केवल इस बिंदु के लिए नहीं करके सम्पूर्ण मामले की जांच जैसा हमारे द्वारा बताया गया है करानी चाहिए।

आगे हमें यह देखना है कि क्या बैंक शुल्क और संग्रहण शुल्क की कटौती होनी चाहिए। हमें यह स्पष्ट करना होगी कि यदि चालान में कीमत मूल्यांकन का आधार है तो बैंक कमीशन अथवा ब्याज शुल्क जो बैंक को देय है व क्रेता के खाते में है तो वो माल के उत्पादन के बाद व निकासी के बाद के खर्च माने जायेंगे तथा उन्हें माल की आकलन योग्य कीमत से घटाया जायेगा। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे खर्च विक्रय मूल्य का हिस्सा होंगे। हमारा यह विचार इसी न्यायालय के निर्णय केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त नई दिल्ली विरुद्ध विक्रम डिटर्जेंट लिमिटेड (2001) 2 एससीसी 417 से मेल खाता है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो सहायक सीसीई विरुद्ध मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड (ऊपर वर्णित), श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स बनाम भारत संघ (1997) 96 ईएलटी 12 एससी व भारत सरकार विरुद्ध मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड (ऊपर वर्णित) पर आधारित है। इन तीनों मामलों में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्धारित किया कि प्राप्त माल पर जो ब्याज उत्पन्न होता है तथा जो माल के प्रेषण और माल की कीमत प्राप्त होने की अवधि के ब्याज का है वह माल के आकलन योग्य मूल्य से घटाने योग्य है। इसी कारण से बैंक खर्च जो बाहर के बैंक की निकासी की कीमत माल की निकासी के वक्त की कीमत में शामिल नहीं किये जा सकते अतः वे कीमत से अलग किये जाने योग्य है जब माल की आकलन योग्य कीमत गिनी जाती है।

अतः हम सोचते हैं कि केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त नई दिल्ली विरुद्ध विक्रम डिटर्जेंट लिमिटेड (2001) 2 एससीसी 417 में दोनों प्रश्नों का उत्तर भली भाँति दिया गया है। हमें कोई संदेह नहीं है कि हम अधिकरण के आदेश को संशोधित करें व निर्देश दें कि अधिकारीगण जिन्हें मामला प्रतिप्रेषित किया गया है कि वे यह जांच करें कि माल प्राप्त के आधार पर प्राप्त ब्याज जो समय के व्यतीत होने के कारण पैदा हुआ है वह माल की अदायगी से रुपये के प्राप्त होने तक की अवधि का है। क्या वह माल की आकलन योग्य कीमत से कम किये जाने योग्य है। और क्या जो बैंक शुल्क की कीमत में जोड़ा गया है तथा इस कारण जोड़ा गया है कि दूर के चेक की निकासी में शुल्क लगा है।

अपील तदनुसार स्वीकृत की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।